फल सब्जी की दुकानें, शरीर, बेकरी, मीट मछली (वैच लाइसेंसकारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, बीज, कृषि सस्यन व उद्भव, कृषि यन्त्र की दुकानें एवं राजकीय कृषि निवेश केंद्र तथा पर्यावरण की दुकानें निर्देश दिए गए।

पेट्रोल प्लम, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाइवे पर स्थित मोटर मैकनिक दुकानें कपड़े के प्रतिबंध से मुक्त रखीं गईं।

आवासिक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों के केवल डुप्ली हेतु आवागमन में छूट रहेगी।

बड़ाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

शादी और समाजी कार्यों में निबंध करने के लिए बैंक हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से समाजी व्यक्तियों को आवाजाही हेतु निर्देशों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते।

सरकारी व निजी कार्य वाहन चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

रेस्ऱ्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।

शाम यात्रा से समाजी वाहनों को छूट रहेगी तथा अतिम संसार में 20 से अधिक व्यक्ति समालित नहीं हो सकते।

केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन सरकारी तथा अशासकीय कार्यालय (आवासिक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बढ़ रहेगी।

अलवाग वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

वातावरणिक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटलिंग केंद्र तक आवागमन की छूट होगी।

पॉस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय अंतर रहेगा।

दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांख्य 02:00 बजे तक खुले रहेंगे, तथा पूरा व्यापार उद्योग बंद रहेगा।

कोविड-19 डुप्ली से जुड़े हुए कार्यकर्ता को आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी। जनपद उधम सिंह नगर के अन्य स्थानों पर पूरा आदेश यथादृष्ट रहेगा।

गेहूं क्रय खरीद केंद्र व उससे सम्बंधित वाहनों को छूट रहेगी।

02-कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु सदमे-सत्य में सरकार/उत्तराखंड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लम्बन की स्थिति में समाचारित के विश्वास आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुंगत घासों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लानी जायेगी।
03-वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक व अपरिहार्य है, जिसमें नोटिस निर्देश कर सुना जाना सम्भव नहीं अत: जनहित एवं लोक शास्ति के दृष्टिगत एकक्षणक रूप से यह आदेश आज 26.04.2021 को मेरे हस्ताक्षरों व कार्यालय मुहर से जारी किया गया है, कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(रंजन राजगुप्त),
जिला मजिस्ट्रेट/अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं आपत्तिकालीन परिचालन केन्द्र, ऊधम सिंह नगर।

पत्र संख्या- 7038 /आप्रप्रा /कोविड-19/2020-21
dिनांक 26 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि-
01-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
02-अपर मुख्य सचिव, मार मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार देहरादून को सादर सूचनार्थ।
03-सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
04-सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
05-सचिव, छिड़काव एवं स्वास्थ्य उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
06-सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ।
07-आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, को सादर सूचनार्थ।
08-समस्त जिला मजिस्ट्रेट/विरिव गृहस्थान अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
09-विरिव पुलिस अधीक्षक, ऊधसिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10-मुख्य विकास अधीक्षक, ऊधसिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11-अपर जिलाधिकारी विड/राज/प्रशासन ऊधसिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12-मुख्य खिचड़ी सी.एल. ऊधसिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13-समस्त उप जिलाधिकारी, ऊधसिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14-समस्त मुख्य नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत ऊधसिनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15-समस्त कार्यालयकार ऊधम सिंह नगर को अनुपालनाध्य प्रेषित।
16-समस्त नोडल अधिकारी, कोविड-19 को अनुपालनाध्य प्रेषित।
17-जिला सूचना अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को अनुपालनाध्य प्रेषित।

(रंजन राजगुप्त),
जिला मजिस्ट्रेट/अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
ऊधम सिंह नगर।